न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़,आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के रा.लो.अ. केम्प अटल सेवा केन्द्र नवारा

राजस्व वाद सं.102/2015

वादी	बनाम	प्रतिवादी
हंसाराम पुत्र सुटाराम आयु व्यस्क जाति घांची निवासी देलदर तह. व जिला सिरोही		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,सिरोही

उपस्थित :–
1– वादी की ओर से वकील श्री पदमाराम चौहान
2– प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (.तह. सिरोही)

न्यायालय सहायक कलेक्टर सिरोही (राज०)

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88 राज.काश्त.अधि.1955
वास्ते राजस्व रेकर्ड नक्शा मे दुरूस्ती करने हेतु

निर्णय दिनांक 21–5–2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88 राज. काश्त.अधि.1955 के तहत वास्ते प्राप्त करने उद्घोषणा खातेदार कृषक विरूद्व राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,सिरोही का इस न्यायालय मे दिनांक 1–10–2015 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि वादी ने अपने उक्त वाद पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि वादी के कब्जे काश्त अपने पिता की खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि मौजा देलदर पटवार हल्का मण्डवारिया तहसील व जिला सिरोही मे आई हुई है जिसका बंदोवस्त से पूर्व खसरा नंबर 232 रकबा 4 बीघा 17 विस्वा,खसरा नंबर 271 रकबा 6 बीघा 8 विस्वा,खसरा नंबर 317 रकबा 28 बीघा 11 विस्वा कुल रकबा 39 बीघा 16 विस्वा है जो बंदोवस्त के पश्चात नया खसरा नंबर 243 रकबा 0.7800 हेक्टेयर खसरा नंबर 285 रकबा 1.0400 हेक्टेयर खसरा नंबर 333 रकबा 4.6200 हेक्टेयर कुल रकबा 6.4400 हैक्टेयर है। उपरोक्त वर्णित खसरा नंबरान की कृषि भूमि का आवंटन वादी के पिता सूटाजी पुत्र धन्ना जाति घांची को हुआ था जो आवंटन के समय वादी के पिता सुटाजी को दोनो नामों से जाना जाता था,जो वादी के पिताजी सुटाजी व हरिया के दोनो नाम से गांव के लोग बुलाते व पुकारते थे । लेकिन वादी के पिताजी का वास्तविक नाम सुटाजी था लेकिन हरिया उपनाम था जो कभी लोग हरिया के नाम पुकारते थे,कभी लोग सुटा नाम से पुकारते थे । वर्णित कृषि भूमि का वादी के पिता के नाम आवंटन हुआ उस समय ववादी के पिताजी को सुटा व हरिया दोनो नाम से जाना जाने व पहचाने जाने से वादी के पिताजी

के पिता सुटा पुत्र धना के स्थान पर हरिया पुत्र धना घांची के नाम पर आवंटन हुआ है जो वादी के पिताजी का वास्तविक नाम सुटा पुत्र धना घांची है। वादी के पिताजी सुटा पुत्र धन्ना के नाम से संयुक्त भाईयों की खातेदारी खसरा संख्या पुराने 517/518/515/516 है उक्त खसरा नंबरान मे वादी के पिताजी का नाम सुटा पुत्र धन्ना घांची सही दर्ज है। इस गांव मे भूतपूर्व मे व वर्तमान मे भी इस गांव मे व घांची समाज मे दूसरा व्यक्ति ननही है जो वादी के पिताजी सुटाजी को दोनो नाम से जाना जाने से सुटा के स्थान पर हरिया दर्ज नाम से आवंटन हुआ है। वादी के नाम से वर्तमान मे पहचानपत्र निर्वाचन कार्ड/राशनकार्ड आधार कार्ड जो सरकारी दस्तावेज बने हुये है वो हंसा पुत्र सुटाजी घांची के नाम से सही बने हुये है लेकिन गांव देलदर मे हरिया पुत्र धना नाम का व्यक्ति पूर्व मे व वर्तमान मे नही है लेकिन पूर्व मे सुटा पुत्र धन्ना वादी के पिताजी ही एक मात्र थे जो दोनो नाम से जाना जाते थे । उपरोक्त वर्णित खसरा नंबरान की कृषि भूमि का वादी के पिताजी का स्वर्गवास होने के पश्चात वादी का उत्तराधिकारी का नामान्तकरण दायर हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर वादी को जानकारी हुई कि वादी के पिताजी का नाम सुटा पुत्र धन्ना के स्थान पर हरिया पुत्र धन्ना घांची उर्फ नाम गलत दर्ज होने से वादी का उत्तराधिकारी का नामान्तकरण दायर नही होने से उक्त नाम की हरिया के स्थान पर सुटा पुत्र धन्ना नाम की घोषणा करवाने हेतु उक्त वाद माननीय न्यायालय मे वाद दायर करने का कारण पैदा हुआ है। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष व प्रतिवादी के विरूद्व निम्न डिक्री पारित करना फरमावें :–

1– यह कि वर्णित खसरा नंबरान की कृषि भूमि मे वादी के पिता का गलत नाम हरिया के स्थान पर सही सुटा पुत्र धन्नाजी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किये जाने की डिक्री ।

2– यह कि राजस्व रेकर्ड मे वादी के पिता का नाम सही अमल दरामद करने हेतु प्रतिवादी को निर्देशित किया जावें ।

वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद पत्र व संलग्न मौजा देलदर तहसील सिरोही की जमाबंदी संवत 2052 से 2055 खाता नंबर 186 खसरा नंबर 232 271 व 317 जमाबंदी संवत 2069 से 2072 खाता नंबर 207 के खसरा नंबर 243/285/333 जमाबंदी संवत 2052 से 2055 के खाता नंबर 74 के खसरा नंबर 515 से 518 व जमाबंदी संवत 2069 से 2072 के खाता नंबर 86 खसरा नंबर 545 से 548 निर्वाचन पहचान पत्र/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से दिनांक 1–10–2015 को दर्ज रजिसटर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस कमांक 2830दिनांक 1–10–2015 को जारी किया गया । जिस पर उक्त नोटिस न्यायालय मे सनवाई पेशी दिनांक

न्यायालय सहायक कलेक्टर सिरोही (राज.)

तहसीलदार ,सिरोही ने जरिये पत्र क्रमांक विधि/2015/1279 दिनांक 10–12–2015 के द्वारा जवाबदावा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया । प्रतिवादी तहसीलदार ,सिरोही ने अपने जवाबदावा मे कथन किया कि जमाबंदी संवत 2069 से 2072 मौजा देलदर के खाता संख्या 207 मे खसरा नंबर 243,285,333 कुल किता 3 रकबा 6.44 हैक्टेयर भूमि हंसा वल्द हरिया कौम घांची के नाम दर्ज है। वाद पद संख्या 2 का कथन वादी सिद्व करें तथा वाद पद संख्या 3 मे कथनानुसार वादी के पिता को दोनो नामों क्रमशः सूटाजी व हरिया के नाम से जाना पहचाना बताया गया है उक्त कथन को वादी स्वंय सिद्व करें । वाद पद संख 4 का कथन सत्य है उक्त कथन मे दर्ज पुराने खसरा नंबर 517,518,515,516,के नये नंबर मिलान क्षैत्रफल के अनुसार नये खसरा नंबर 545,546,547,व 548 बने है जिसमे संयुक्त खातेदारी के रूपम` दर्ज हैं वाद पद संख्या 5 व 6 वादी स्वंय सिद्व करना व वाद पद संख्या 7 का कथन सही होना बताया है व वाद पद संख्या 8 से 10 का कथन न्यायालय से संबंधित होना बताया है। विचारण प्रकरण मे सुनवाई पेशी दिनांक 16–12–2016 को न्यायालय द्वारा वादी के वादपत्र व प्रतिवादी के जवाबदावा के आधार पर प्रकरण मे निम्नांकित तनकीयात कायम की गई :–

1– आया वादी वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा देलदर पटवार हल्का मण्डवारिया तहसील सिरोही के खसरा नंबर 243,285,333 कुल किता 3 कुल रकबा 6.4400 हेक्टेयर की कृषि भूमि की जमाबंदी मे वादी के पिता का गलत नाम हरिया के स्थान पर सही सुटा पुत्र धन्नाजी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किये जाने की डिक्री जारी करवाने का अधिकारी है ?––––––जिम्मे वादी

2– उक्तानुसार वादी वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपने ददादा एवं पिता के समय पर आज भी बिना किसी रोकटोक के शान्तिपूर्वक निर्बाध रूप से काबिज काश्त है? ––––––जिम्मे वादी

3– वादी उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मे उक्तानुसार सही नाम पुश्तैनी जमाबंदी पुरानी तथा आवासीय पुश्तैनी बाप दादों के नाम से जारी पटटा के आधार पर कराने का अधिकारी है? ––––––जिम्मे वादी

4– आया वादी वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर अपने हक हिस्से की भूमि पर वर्तमान मे काबिज काश्त है?–जिम्मे प्रतिवादी स्टेट

इस न्यायालय मे दिनांक 17–1–2017 को दौराने सुनवाई विचारण प्रकरण मे वादी हंसाराम गवाह खीमाराम ,लादाराम सुथार ,तोलाराम के शपथपत्रों पर प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा जिरह करने के बाद शामिल मिसल किये गये । वादी द्वारा आगे साक्ष्य नही कराने व साक्ष्य वादी बंद करने का निवेदन करने से न्यायालय द्वारा साक्ष्य वादी बंद करने के

सहायक कलेक्टर

आदेश दिये गये । तथा विचारण प्रकरण मे साक्ष्य प्रतिवादी स्टेट हेतु सुनवाई पेशी दिनांक 16—2—2018 मुर्करर की गई ।

विचारण प्रकरण की यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र नवारा मे मेरे समक्ष पेश हुई । राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट बरलुट मे दिनांक 19—5—2018 को विचारण प्रकरण मे वांछित वादी हंसाराम पुत्र श्री सुटाजी घांची निवासी देलदर ने शपथपत्र पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 243,285,333 की कृषि भूमि पर कोई ऋण नही लिया है एवं कोई ऋण होगा तो मेरी जवाबदारी होगी । तथा उक्त कृषि भूमि हंसा पुत्र हरिया के नाम से वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है जो मुझे प्रार्थी के पिता हरिया को दोनो नाम से हरिया व सुटा के जाने जाते थे एवं पहचाने जातते थे तथा उक्त दोनो ही नाम मेरे पिता एक ही व्यिक्ति थे एवं पहचाने जाते थे इसके अलावा गांव मे अन्य कोई व्यक्ति नही ह जो जमाबंदी हंसा पुत्र हरीया गलत दर्ज है मुझ प्रार्थी के राशनकार्ड, निर्वाचन कार्ड, आधारकार्ड, घरेलु विधत कनेक्सन एवं अन्य दस्तावेज हंसाराम पुत्र सुटाजी के नाम से बने हुये होना वादी ने अपने शपथपत्र मे कथन किया है तथा भू.अ.नि.बरलुट व पटवारी मण्डवारिया की संयुक्त जांच रिर्पोट दिनांक 18—5—2018 के अनुसार तथ्यात्मक रिर्पोट यह प्राप्त हुई कि मौजा देलदर के पुराने खसरा नंबर 232,271 व 317 मे खातेदार संवत 2015 से 2018 मे हुरिया वल्द धना घांची जमाबंदी अनुसार दर्ज था, उसके बाद संवत 2022 से 2025 मे हरिया वल्द धना घांची दर्ज हुआ जो लगातार संवत 2035 से 2038 तक चला उसके पश्चात हरिया की मृत्यु हई जिससे पुत्र हंसा पुत्र हरिया के नाम दर्ज हुआ जो खाता आज तक हंसा वल्द हरिया चल रहा है। सुटिया व हरिया दोनो नामों से जाना पहचाना जाता है। पुराने खसरा नंबर के नये खसरा नंबर 243,285,व 333 बने है जिसमे भी हंसा वल्द हरिया घांची चल रहा है। प्रार्थी के दूसरे खाते संयुक्त मे खसरा नंबर 515 से 518 मे हंसा वलद सुटा 1/6 चल रहा है। प्रार्थी का ही रेकर्ड अनुसार कब्जा है। पत्रावली के संलग्न वोटर आई.डी. कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स एवं आधार कार्ड मे हंसाराम पुत्र सूटाराम घांची दर्ज है एवं वादी ने शपथ पत्र नोटेरी से तस्दीक शुदा पेश किया है मे भी हंसाराम पुत्र सूटाराम होना सही बताया है। समस्त सबूतों के अनुसार वादी के पिता का नाम वास्तव मे हुटिया पूर्व मे था जो आम बोलचाल की भाषा मे हुटिया या सुटिया एक ही नाम है लेकिन नाम मे अपभ्रंस होने से हुटिया को हरिया दर्ज किया गया है जबकि हुटिया पुत्र धना के मरने पर हंसा पुत्र हुरिया या सुटिया दर्ज होना था जो नही हुआ है। अतः वादी का नाम हंसाराम पुत्र हरिया के स्थान पर हंसाराम पुत्र सूटाराम रेकर्ड अनुसार शुद्व दर्ज किया जाना उचित है। पटवारी हल्का मण्डवारिया श्री रणवीरसिंह पुत्र श्री भागीरथ जाति जाट निवासी रिणाउ तह.फतेहपुर

जिला सीकर हाल पटवारी मण्डवारिया ने राजस्व रेकर्ड के अनुसार ब्यान दिनांक 18–5–2018 मे यह कथन किया कि विचारण प्रकरण संख्या 102/2015 राजस्व वाद धारा 88 आर.टी.एक्ट मे वादी हंसाराम पुत्र सुटाजी जाति घांची के बारे मे पुराने रेकर्ड के अनुसार जमाबंदीयों मे वर्ष 2015 से 2018 की देखने पर हुटिया पुत्र धन्ना घांची खसरा नंबर पुराने 232/271/317 मे चल रहा था जो ज्यो ज्यो रेकर्ड बदलता रहा मे हुटिया की जगह हरिया दर्ज हुआ व हरिया के फौत होने पर हंसा वल्द हरिया दर्ज हुआ । वादी हंसा के पिता हुटिया थे जो धीरे धीरे हुटिया की जगह सुटाराम न ही होकर हटिया दर्ज हुआ है। वादी के दूसरे खाते मे हंसा पुत्र सूटा दर्ज है। रेकर्ड के अनुसार हंसाराम पुत्र सूटाजी किया जाता है तो सही है।

हमने राजस्व लोक अदालत मे सुनवाई के दौरान हाजिर वादी हंसाराम व प्रतिवादी स्टेट की ओर से तहसीलदार/सिरोही द्वारा विचारण प्रकरण मे अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनकर उस पर गंभीरता से मनन किया । विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली के संलग्न वादपत्र/जवाबदावा मय राजस्व रेकर्ड की प्रतियों/शपथपत्र वादी व ब्यान पटवारी हल्का मण्डवारिया/संयुक्त जांच रिर्पोट पटवारी हल्का मण्डवारिया व भू.अ.नि. बरलुट व अन्य सभी दस्तावेजात प्रतियों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त संयुक्त जांच रिर्पोट/पटवारी हल्का मण्डवारियॉ व भू.अ.नि. बरलुट ब्यान पटवारी हल्का मण्डवारिया व शपथपत्र वादी हंसा के आधार पर व वादी के अन्य संयुक्त खातों मे खसरा नंबर 515 से 518 मे हंसा वल्द सुटा होने व प्रार्थी का ही रेकर्ड अनुसार कब्जा होने व निर्वाचन पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेन्स एवं आधार कार्ड मे हंसाराम पुत्र सुटाराम दर्ज होने के फलस्वरूप स्वीकृत स्थिति है कि उक्त सभी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी के पिता का नाम वास्तव मे हुटिया पूर्व मे था जो आम बोलचाल की भाषा मे हुटिया या सुटिया एक ही नाम है लेकिन नाम मे अपभ्रंश होने से हुटिया को हरिया दर्ज किया गया है जबकि हटिया पुत्र धना के मरने पर हंसा पुत्र हुटिया या सुटिया दर्ज होना था जो नही हुआ है। प्रतिवादी स्टेट तहसीलदार/सिरोही ने भी उक्त सभी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार करने पर सहमति जाहिर की है। अतः उपरोक्त आधार पर वादी का यह वाद अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादी स्टेट बाबत प्राप्त करने खातेदारी की घोषणा का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार/सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि मौजा देलदर तहसील सिरोही जिला सिरोही मे वादी के खातेदारी की कृषि भूमि नया खसरा नंबर 243 रकबा 0.7800 हेक्टेयर/खसरा नंबर 285 रकबा 1.0400 हेक्टेयर व खसरा नंबर 333 रकबा 4.6200 हेक्टेयर कुल रकबा 6.4400 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड वर्तमान जमाबंदी मे वादी हंसाराम के पिता का गलत नाम हरिया के स्थान पर सही नाम सूटा पुत्र धन्नाजी राजस्व रेकर्ड मे

न्यायालय सहायक कलेक्टर सिरोही (राज०)

इस न्यायालय को अवगत करावें ।तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । निर्णय रा. लो.अ.अटल सेवा केन्द्र नवारा मे मजमे आम मे सुनाया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

21/5/18

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 21–5–2018 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

21/5/18

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.) सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)